

जल्लीकट्टू : कानून और संस्कृति के बीच फंसी एक पुरानी परम्परा

प्रासंगिकता: जीएस -1: प्राचीन से आधुनिक काल तक की भारतीय विरासत और संस्कृति; भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।

जीएस -3: पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।

प्रमुख वाक्यांश: बुल टैमिंग, भारत में सांस्कृतिक उत्सव और खेल, जल्लीकट्टू, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI), पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम 2017, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960।

संदर्भ:

- हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जल्लीकट्टू का बचाव करते हुए कहा कि जल्लीकट्टू का तमिलनाडु के लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व है और इसका प्रभाव जाति और पंथ की सीमाओं से परे है।
- राज्य ने विरोध किया कि जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध को तमिलनाडु के लोगों की सांस्कृतिक पहचान पर हमला माना गया।

मुख्य विचार:

- उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा तमिलनाडु के कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई की उम्मीद है।
 - कानून यह दावा करके जल्लीकट्टू की रक्षा करता है कि सांडों को काबू करने वाला खेल राज्य की सांस्कृतिक विरासत है और संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के तहत संरक्षित है।

जल्लीकट्टू क्या है?

- जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने वाला प्रतिस्पर्धी खेल है जो तमिलनाडु के हिस्से में 2,000 साल से अधिक पुरानी परंपरा है।
- 'जल्लीकट्टू' शब्द 'कैली' (सिक्के) और 'कट्टू' (टाई) शब्दों से विकसित हुआ है, जो बैल के सींगों से बंधे सिक्कों के एक बंडल को दर्शाता है।
- तमिल शास्त्रीय काल के महान महाकाव्य सिलप्पाटिकरम में जल्लीकट्टू का संदर्भ दिया है।
- **समारोह**
 - यह तमिल फसल उत्सव, पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है।

- यह तमिलनाडु के मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट के रूप में जाना जाता है।
- सबसे लोकप्रिय जल्लीकट्टू मदुरै के पास अलंगनल्लूर में मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू है।

जल्लीकट्टू के कानूनी मुद्दों की समयरेखा

- जल्लीकट्टू पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में कानूनी जांच के दायरे में आया जब भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पशु अधिकार समूह पेटा ने जल्लीकट्टू के साथ-साथ बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
- 2006 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक युवा दर्शक की मृत्यु के बाद खेल पर प्रतिबंध लगा दिया।
- हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने 2009 में जल्लीकट्टू अधिनियम, 2009 का तमिलनाडु विनियमन कानून पारित करके प्रतिबंध से बाहर निकलने का रास्ता निकाला।
- 2011 में, केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें विशेष रूप से 'बैल' का उल्लेख किया गया था।
- 2011 के नोटिस के बाद भी 2009 के तमिलनाडु रेगुलेशन एक्ट नंबर 27 के कारण जल्लीकट्टू प्रथा जारी रही।
- **द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) और पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA)** ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर की और विरोध किया कि -
 - नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और सांड वास्तव में क्रूरता के अधीन थे जैसा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत परिभाषित किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2014 के फैसले में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया और जल्लीकट्टू अधिनियम, 2009 के तमिलनाडु विनियमन को रद्द कर दिया।
- जनवरी 2016 में, जिसे स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु में चुनाव होने से महीनों पहले एक अधिसूचना जारी करके प्रतिबंध हटा दिया।
- जनवरी 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 की केंद्र सरकार की इस अधिसूचना पर रोक लगा दी, क्योंकि इसे AWBI और PETA द्वारा चुनौती दी गई थी।
- जनवरी 2017 में, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के विरोध में चेन्नई मरीना में एक रैली की।
- जनवरी 2017 में, तमिलनाडु ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (जल्लीकट्टू का संचालन) नियम 2017 पारित किया।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 के प्रतिबंध के बावजूद संस्कृति और परंपरा के नाम पर लोकप्रिय सांडों को काबू करने के खेल के संचालन के लिए नियमों ने फिर से द्वार खोल दिए थे।
- तमिलनाडु कानून के कारण जल्लीकट्टू की वापसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 में संविधान पीठ को याचिकाओं का एक समूह भेजा था।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

- यह 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में है।
- बोर्ड शुरू में भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में था।
- 1990 में, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के विषय को पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां अब यह रहता है।
- रचना
 - बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं, जो 3 साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं।
- कार्य
 - यह पशु कल्याण कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने वाली एक सलाहकार संस्था है, और भारत देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देती है।
 - यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि देश में पशु कल्याण कानूनों का पालन किया जाता है और पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।
 - यह हर जगह जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए, इस पर कई तरह के नियम बनाता है।
 - जानवरों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना या प्रताड़ित न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए यह अक्सर कड़े कानूनों के लिए मुकदमेबाजी करता है।

जल्लीकट्टू के खिलाफ तर्क

- नैतिक मुद्दे: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की एक जाँच ने निष्कर्ष निकाला है कि "जल्लीकट्टू स्वाभाविक रूप से जानवरों के लिए क्रूर है"।
- पशु के प्रति क्रूरता: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष AWBI द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में अकल्पनीय यातना पर प्रकाश डाला गया है - पूंछ को तोड़ा और मरोड़ा गया, आँखों में रसायन डाला गया, कानों को विकृत किया गया, जानवर को मारने के लिए धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
- मानव मृत्यु : इस घटना के कारण कई मानव चोटें और मृत्यु आई हैं और सांडों की मृत्यु के कई उदाहरण हैं।

- **जानवरों के साथ दुर्व्यवहार:** पशु कल्याण संबंधी चिंताएं सांडों को छोड़ने से पहले और सांड को वश में करने के प्रतियोगी के प्रयासों के दौरान भी संभालने से संबंधित हैं।

पक्ष में तर्क

- **देशी नस्ल संरक्षण :** इसके समर्थकों के अनुसार, यह एक मनोरंजन उपलब्ध खेल नहीं है बल्कि देशी पशुधन को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का एक तरीका है।
- **सांस्कृतिक महत्व :** जल्लीकट्टू को तमिल शास्त्रीय काल (400-100 ईसा पूर्व) के दौरान अभ्यास करने के लिए जाना जाता है और इसका उल्लेख संगम ग्रंथों में मिलता है।
- **मनुष्य-पशु संबंध :** कुछ का मानना है कि खेल एक सौहार्दपूर्ण मानव-पशु संबंध का भी प्रतीक है।

निष्कर्ष:

- हालांकि जल्लीकट्टू के नैतिक पहलुओं पर आलोचना हुई है लेकिन जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा है "यह एक प्रथा है जो सदियों पुरानी है और एक समुदाय की पहचान का प्रतीक है जिसे मानव जाति के रूप में विनियमित और सुधारा जा सकता है पूरी तरह से समाप्त होने के बजाय विकसित होता है।"
- यह करुणा और मानवतावाद के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है और यह माननीय न्यायालय पर निर्भर है कि लोगों को अपनी परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है या नहीं।

स्रोत: द हिंदू / <https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/tamil-nadu-defends-jallikattu-in-sc-terms-it-a-cultural-event/article66175319.ece>

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न -

प्रश्न : भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम का विषय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दायरे में आता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

हल: a

व्याख्या:

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अतः कथन-1 सही है।
- बोर्ड शुरू में भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में था।
- 1990 में, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के विषय को पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां अब यह रहता है। अतः कथन-2 गलत है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q: जल्लीकट्टू एक जाति की दूसरी जाति पर श्रेष्ठता का प्रकटीकरण है। जल्लीकट्टू आयोजनों में मनुष्यों द्वारा पशुओं पर की गई क्रूरता के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसमें शामिल नैतिक मुद्दों और मूल्यों को भी इंगित करें। (250 शब्द) [®]